समाचार-प्रकाशनार्थः-

नगर के सभी वार्ड चरणबद्ध तरीके से बनेंगे जीरो वेस्ट वार्ड

22 मार्च तक 24 वार्ड बन चुके है जीरो वेस्ट वार्ड

रतलाम नगर निरंतर बढ़ रहा है जीरो वेस्ट की ओर

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिक ले रहे है बढ़-चढ़ कर हिस्सा

रतलाम 22 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 1ए 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 29ए 32ए 33ए 34ए 35ए 36ए 39ए 41ए 42ए 43ए 44ए 45 व 46 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। 22 मार्च की स्थिति में नगर के 24 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है रतलाम नगर को स्वच्छता में देश में नम्बर 1 बनाने के नागरिकों व निगम कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए आगामी एक सप्ताह में नगर के सभी वार्डो को चरणबद्ध तरीके से जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाकर संपूर्ण रतलाम नगर को जीरो वेस्ट नगर बनाया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क वर्तमान में जिन वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है उन वार्डो की सड़कोंए ग लयों एवं ना लयों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरोए दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित कया जा रहा है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1ए 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 29ए 32ए 33ए 34ए 35ए 36ए 39ए 41ए 42ए 43ए 44ए 45 व 46 में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरो एवं दुकानांे से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे्रचंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संब धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

मुखर्जी नगर में आज भी लगेगा आवास मेला

सपनों का घर खरीदने का सुनहरा अवसर

एमआईजी फ्लेट खरीदने हेतु नागरिक मेले में सम्मि लत होवें

रतलाम 22 मार्च । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुखर्जी नगर में नि र्मत 94 एमआईजी फ्लेटों का ऑन लाईन नि वदा के माध्यम से वक्रय कये जाने हेतु नगर निगम द्वारा आज 23 मार्च मंगलवार को भी प्रातः 10 से सांय 6 बजे तक आवा मेला महोत्सव आयोजित कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुखर्जी नगर में शानदार लोकेशन पर 94 एमआईजी फ्लेट नि र्मत है जो 2 बीएचके के होकर सुपर बिल्ट-अप एरिया 91ण्23 वर्ग मीटर है जिसका आर क्षत मूल्य रूपये 22 लाख रूपये है तथा ऑन लाईन वक्रय हेतु ई-टेंडर अपलोड करने की अंतिम ति थ 30 मार्च है।

नगर निगम नागरिकों से अपील की जाती है क एमआईजी फ्लेट क्रय करने हेतु 23 मार्च मंगलवार को आयोजित कये गये आवास मेला महोत्सव में को वड-19 के दिशा निर्देशों के पालन के साथ उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है व फ्लेट देख सकते है।

खुले मंे कचरा डालने पर दो दुकानदारों पर 2000.2000 का जुर्माना

जूते चप्पल की दुकान को कया सील

रतलाम 22 मार्च । नगर को कचरा मुक्त बनाने हेतु नगर के सभी घरों एवं दुकानों से कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से कचरा संग्रहित कया जा रहा है कन्तु कुछ नागरिकों एवं दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डाला जा रहा है ऐसे नागरिक एवं दुकानदारों पर लगाने हेतु कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

माणक चौक क्षेत्र में हितेष व वजय गांधी द्वारा रात्री के समय दुकान बंद करने के समय खुले में कचरा डालने पर 2000.2000 हजार का जुर्माना कर संब धतों की दुकानों को सील कया गया। इसके अलावा गंदगी करने

पर चन्द्र प्रकाष माणक चौक पर 500 व मुकेष इण्डस्ट्रीज एरिया पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

रतलाम को स्वच्छता के सभी घटकों में नम्बर-1 बनाये

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत र ववार को वशेष कार्यक्रम में

वाहन चालकों और स्वच्छता दीदियों का सम्मान कया गया

रतलाम 22 मार्च । स्वास्थ्य अ धकारी एपी संह ने कहां है क रतलाम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लए स्वास्थ्य अमले जी जान से जुटा हुआ है। आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाजी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में हर स्वास्थ्य वभाग से जुड़े जमीनी कर्मचारी स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 को तहत वे तमाम प्रयास कर रहे है ता क रतलाम को स्वच्छता के सभी घटकों में नं-1 बनाया जा सके। हमारे सफाई संरक्षकए स्वच्छता दीदीए कचरा वाहन चालकएहेल्पर और रिंग पकर्स आदि के सहयोग से शहर का प्रत्येक वार्ड जीरों वेस्ट में तब्दिल होगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण -2021 के तहत र ववार को वशेष थीम पर शहर के सुभाष नगर स्थित नवनि र्मत मांग लक हाल में स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य अ धकारी श्री एपी संह के साथ ही स्वच्छता निरीक्षक करण चौहानए मनीष तिवारी आदि भी उपस्थित रहे।

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर श्री एपी संह ने कहा क आज शहर में स्वच्छता का लेकर जागरुकता तेजी से बढ़ी है। कन्तु कुछ नागरिक एवं दुकानदारों द्वारा आज भी अपने घरों व दुकानों का कचरा सार्वजनिक स्थलों या ऐसी

जगह पर फेंक रहे है जो स्वच्छता को प्रभा वत करते है। ऐसे लोगों को सबक सखाने के लए स्पॉट फाईन सहित अन्य उपाय भी निरन्तर जारी है।
इस मौके पर श्री संह ने कचरा वाहन चालकए हेल्परए स्वच्छता दीदियों के नाम आयुक्त सोमनाथ झारिया का संदेश भी पढ़ कर सुनाया। कार्यक्रम के दौरान रहवासी संघ के माध्यम से लोगों को कचरा पृथकीकरण के उपाय बताए गए। इसके साथ ही घरों में काम करने वाली महिलाओं को भी कचरा अलग-अलग करने का प्र शक्षण दिया गया।
स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के अवसर पर कचरा संग्रहण वाहन चालकों का सम्मान अनिल पांचाल ने पुष्पमाला पहना कर कया वही स्वास्थ्य अ धकारी एपी संहए करण चौहान व मनीष तिवारी ने इन्हे प्रमाण पत्र भेंट कए। यहां वार्ड क्रमांक 15 सुभाषनगर के सफाई मत्र अनिल चौहान के अलावा वाहन चालक निर्मल छपरीए मुस्त कम खानए चत्तर संहए शुभम पैमालए कैलाश कटाराए नूर मोहम्मदए मनोज मल्होत्राए मुकेश यादवए सादिक कुरेशीए मुकेश पंवारए रामभजन बालीए परवेज खत्रीए जितेन्द्र तोमरए जितेन्द्र संदल गौरव भाटी और पवन बारुपाल का सम्मान कया गया।

पॉलीथीन व डस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबं धत
निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये निर्देश
रतलाम 22 मार्च । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से षासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबं धत कया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अ धकारियों को निर्दे षत कया।
निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्दे षत कया क 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबं धत कया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कया जाये साथ

ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबं धत कया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैलीए नारियल या जूट की थैली का उपयोग करेंए प्लास्टिक व थर्मोकोल से नि र्मत कपए ग्लासए कटोरीए चम्मचए कन्टेनरए स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉए पेपर प्लेटए दोने पत्तलए पत्तो से नि र्मत बाउलए केले के तने तथा नारियल के पत्तों से नि र्मत प्लेट एवं बाउलए म ी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लये करें इस हेतु प्रेरित कया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डस्पोजेबल आयटमों के वक्रयए भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही कये जाने के निर्देष संबं धत को दिये।

दो बत्ती चौराहे पर आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 62ए31ए144ध्. संपत्तिकर व 13ए43ए910ध्. जलकर जमा कराया

रतलाम 22 मार्च । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ध्. व जलकर 6ए000ध्.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ध्. व जलकर 55ए775ध्.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्वि िर में संपत्तिकर 2ए38ए000ध्. व जलकर 49ए010ध्.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000ध्. व जलकर 43ए670ध्.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000ध्. व जलकर 29ए280ध्.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000ध्. व जलकर 19ए850ध्.ए कोमल

नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000ध्‌ व जलकर 48ए220ध्‌ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000ध्‌ व जलकर 14ए000ध्‌ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000ध्‌ व जलकर 86ए540ध्‌ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000ध्‌ व जलकर 3ए76ए905ध्‌ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500ध्‌ व जलकर 76ए470ध्‌ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000ध्‌ व जलकर 47ए595ध्‌ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000ध्‌ व जलकर 22ए680ध्‌ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644ध्‌ व जलकर 55ए320ध्‌ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000ध्‌ व जलकर 59ए500ध्‌ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144ध्‌ व जलकर 6ए71ए025ध्‌ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000ध्‌ व जलकर 19ए000ध्‌ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000ध्‌ व जलकर 64ए780ध्‌ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000ध्‌ व जलकर 66ए715ध्‌ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000ध्‌ व जलकर 34ए340ध्‌ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000ध्‌ व जलकर 44ए230ध्‌ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000ध्‌ व जलकर 33ए940ध्‌ए जूनि कोर्ट करण टॉकज ष वर में संपत्तिकर 1ए84ए000ध्‌ व जलकर 56ए350ध्‌एआनन्द कालोनी ष वर मे संपत्तिकर 86ए000ध्‌ व जलकर 35ए140ध्‌ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए16ए000 व जलकर 57ए670ध्‌ए महावीर नगर ष वर में संपत्तिकर 69ए000ध्‌ व जलकर 21ए185ध्‌ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 3ए50ए000ध्‌ व जलकर 66ए865ध्‌ए चौगानिया भेरू मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 1ए15ए000ध्‌ व जलकर 25ए865ध्‌ए सायर चबुतरा ष वर में संपत्तिकर 2ए42ए000ध्‌ व जलकर 70ए400ध्‌ए चौमुखील पुल ष वर में संपत्तिकर 4ए70ए000ध्‌ व जलकर 43ए925ध्‌ए बजाज खाना गणेष देवरी ष वर में संपत्तिकर 2ए55ए000ध्‌ व जलकर 39ए750ध्‌ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेें 62ए31ए144ध्‌ संपत्तिकर व 13ए43ए910ध्‌ जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड

क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

अनुपस्थित 11 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 22 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डो में 21 मार्च र ववार को बिना सूचना के 11 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 22 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की

पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 22 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के वभन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 22 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के वभन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 22 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/22ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.